एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पेंड्री, राजनंदगांव

क्रमांक–   दिनांक

प्रति,

मेसर्स ....

विषय–एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेन्ड्री जिला राजनांदागांव हेतु सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा पत्र एवं शर्ते ।

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेन्ड्री के संचालन हेतु सत्र 2025–26 हेतु पंजीयन फर्मो/आपूर्तिकर्ताओं से खाद्य सामग्री, सब्जी एवं फल, मांसाहार सामग्री, लेखन सामग्री, दैनिक उपयोग सामग्री, हेयर कटिंग एवं अन्य सामग्रियों के लिए मुहर बंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेन्ड्री जिला राजनांदागांव (जी.एस.टी. प्रमाण पत्र सहित) रू. 500.00 नगद भुगतान कर दिनांक 01.11.2025 तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते है। निविदा हेतु महत्वपूर्ण तिथियां –
   - निषिदा बिक्री की अंतिम तिथि 01.11.2025 समय सायं 4:00
   - निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 08.11.2025 समय सायं 4:00
   - निविदा खोलने की तिथि 10.11.2025
2. निविदाएँ निविदा पत्र में निर्दिष्ट नियम एवं शर्ते कंडिका 03 से 28 तक के अनुरूप प्रस्तुत की जानी चाहिए । जब तक निविदा में किसी तरह का विशेष उल्लेख नही किया जाता तब तक अद्योलिखित शर्ते स्वयं सहमति मानी जायेंगी ।
3. निविदा दरें विषयांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेन्ड्री जिला राजनांदगांव तक एफ.ओ.आर. साथ में जीएसटी उत्पाद कर, विकय कर, वेट व अन्य देय कर सम्मिलित होना चाहिए। विद्यालय किसी प्रकार का टैक्स या भाड़ा आदि का भुगतान नही करेगा ।
4. निविदा प्रपत्र में किसी तरह की दोहरी लिखावट, सुधार आदि नहीं होना चाहिए । यदि मूल्य में किसी तरह की काट–छॉट, संशोधन करना हो तो घेरा कर संशोधित दर को स्पष्टतः लिख कर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें, बिना हस्ताक्षर प्रमाणीकरण के निविदा निरस्त की जा सकती है।
5. **विद्यालय क्रय परामर्श उप समिति** न्यूनतम दरें स्वीकृत करने को बाध्य नही है और अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या न करने का अधिकार है।
6. **विद्यालय क्रय परामर्श उप समिति** Government e- Marketplace (GeM) या किसी सरकारी विभाग या संस्था से कोई भी सामग्री कय करने हेतु स्वतंत्र होगा, साथ ही कय समिति निविदा स्वीकृत दर से कम दर में खुले बाजार से सामग्री कय करने हेतु स्वतंत्र होगा ।
7. निविदा स्वीकृत होने पर यह एक अनुबंध होगा और निविदा दाता नियम व शर्तो के पालन हेतु बाध्य होगा और समान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) का पालन अनिवार्य होगा।

8. निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ निर्धारित अमानत राशि (ईएमडी) का बैंक ड्राफ्ट जो खाता संख्या 3597180412 **PRICIPAL EKALAVYA ADRSHA AWASIYA AKALAVA ADRSH AWASIYA VIDHYALAY PENDRI RAJNANDGAON** के पक्ष में देय होगा, अनिवार्य रूप से जमा करना होगा । यह अमानत राशि बाद में निविदा अस्वीकृत होने या स्वीकृत होने पर अनुबंध की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी। अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर यह अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी । **यदि कोई पंजीकृत फर्म /आपूर्तिकर्ता निविदा प्राप्त करने के बाद समय पर सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ रहती है अथवा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करती है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संबंधित फर्म को विद्यालय की आगामी निविदाओं के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा।**

9. यदि निविदादाता निर्धारित समय में सामग्री आपूर्ति करने में असफल होता है तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता बाजार से क्रय करने और शेष अनुबंध दूसरे फर्म से पूरा करने के लिये स्वतंत्र है तथा अंतर राशि को जमा अमानत/सुरक्षा राशि अथवा भुगतान से काटने हेतु स्वतंत्र है। शेष राशि उसे वापस कर दी जायेगी । अंतर राशि अधिक होने पर निविदा दाता द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भुगतान करना होगा ।

10. सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उसके लिये कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

11. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवता की जॉच जमा किये गये नमूना से मिलान कर किया जायेगा। यदि दोनों में अंतर पाया जाता है तो उसे वापस कर दिया जायेगा और उसमें होने वाले व्यय की भरपाई संबंधित प्रदायक से की जायेगी ।

12. निविदा की दरें आगामी निविदा तक मान्य होगी । ब्राण्ड वाली सामग्री के साथ पैकेट में यदि कोई निःशुल्क उपहार योजना है, तो उसे निविदादाता को सामग्री के साथ निःशुल्क देना होगा और उसे बिल में भी अंकित करना होगा ।

13. एक से अधिक वस्तुओं/कार्यो/अनुबंध के लिये एक ही Technical Bid जमा करें।

कं.	लिफाफा	लिफाफें का शीर्षक	लिफाफा में भरे जाने वाली सामाग्री
1	A	तकनीकी लिफाफा	1.निविदाकार को 02 वर्षो अर्थात 2023–24 एंव 2024–25 के आयकर रिर्टन की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 2.निविदाकार को फर्म का PAN, TAN, एंव GST (पेन नंबर टेन नंबर एंव जीएसटी नंबर) की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट। 4.अन्य कर भुगतान संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र
2	B	वित्तीय लिफाफा	निविदाकार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ में हस्ताक्षारिंत वित्तीय निविदा फार्म (जिसमें निविदा दरे अंकित की जावेगी)
3	C	एकलव्य विद्यालय मेस हेतु निविदा 2025	A, B दोनो लिफाफें को सीलबंद किया जाकर एक बडे लिफाफें C में रखकर सीलबंद किया जाना है।

सबसे पहले लिफाफा " C " को खोलकर लिफाफा " A " एंव लिफाफा " B " को पृथक किया जावेगा। उसके पश्चात सर्वप्रथम लिफाफा " A " खोला जावेगा। लिफाफा " A " सही पाये जाने पर तथा निविदाकार के पात्र पाये जाने पर ही लिफाफा " B " वित्तीय निविदा (दर सूची) खोला जावेगा ।

14. निविदा स्वीकृत होने पर और आपूर्ति आदेश देने की स्थिति में आपूर्ति की गई सामग्री का परीक्षण अद्योहस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा और सामग्री अनुमोदित नमूनों के अनुरूप ना होने पर अस्वीकार कर दी जावेगी ।

15. निविदा प्रपत्र में दी गई सामग्री जिस कम्पनी/मार्का का नाम दिया गया है उसी कम्पनी/मार्का की सामग्री दी जाये । अन्य कम्पनी की दरें देने पर उसे निरस्त माना जायेगा ।

16. निविदा दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि समस्त सामग्रियों का मूल्य भरा जाए अन्यथा अस्वीकार किया जा सकता है । एम.आर.पी. में छूट वाली सामग्री में प्रतिशत Round Off में लिखा जाये।

17. क्रय समिति यदि आवश्यक समझे, दरें बाजार मूल्य से अधिक ज्ञात हो तो सामग्री के मूल्यों पर सौदेबाजी (Negotiation) हेतु सभी निविदा दाताओं को बुला सकती है और सभी निविदा दाताओं को भाग लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती है।

18. निविदादाता द्वारा दर्शाए गए फर्म का पता स्पष्ट होना चाहिए। देखा जाता है कि निविदा दाता दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा के निविदा प्राप्त कर लेता है लेकिन वास्तव में उसकी कोई दुकान या फर्म नहीं होती है। दुकान/फर्म न होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।

19. सीलबंद लिफाफे पर सामग्री आपूर्ति का नाम लाल इंक से अंकित करें साथ में डी.डी. नम्बर एवं अमानत राशि स्पष्ट लिखे।

20. कम्पनियों द्वारा सामग्रियों के बिक्री के साथ दी जाने वाली उपहार सामग्रियों को निःशुल्क देना होगा तथा कम्पनियों द्वारा निर्मित सामग्री में उनके एगमार्क/आईएसआई मार्क होना आवश्यक है। आपूर्ति के समय सामग्रियों के वजन हेतु स्वीकृत दर इकाई से कम वजन के पैकेट/पैक स्वीकार्य नहीं होंगे। एमआरपी से ज्यादा मूल्य स्वीकार नहीं होगी।

21. सैम्पल पूर्व में या निविदा खुलने के दिन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना सैम्पल के निविदा रद्द करें दी जावेगी। सैम्पल के अनुमोदन पश्चात क्रय सामिति के सदस्यों के हस्ताक्षर उपरांत उसे सील बंदी किया जावेगा।

22. जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई ब्राण्ड/कम्पनी (लेखन सामग्री) की सामग्री प्राप्त न होने पर उसे तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया जायेगा।

23. निविदा प्रपत्र व्यक्तिगत उपस्थित होकर **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पेंड्री, राजनंदगांव** कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में जमा कर सकते है या पंजीकृत डाक द्वारा समय सीमा के अंदर प्रेषित कर सकते हैं विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

24. **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पेंड्री, राजनंदगांव** द्वारा जारी सामग्री सूची में ब्राण्ड/मार्क में परिवर्तन न करे।

25. सब्जी–फल,बेकरी, अण्डा, चिकन, हेयर कटिंग में जी.एस.टी. पंजीयन अनिवार्य नहीं है किन्तु GST नम्बर वाले फर्म से प्राप्त प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जायेगी।

26. **किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निविदा हेतु गठित क्रय समिति एवं कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।**

27. प्रत्येक निविदा क्रय हेतु निर्धारित दर 500.00 रू. नगद/बैंक ड्राफ्ट बनाकर जमा करना पड़ेगा।

28. निविदा की वैद्यता सत्र 2025–26 की समाप्ति अथवा नई निविदा के प्रभावी होने तक, जो भी पहले घटित हो, तक मानी जायेगी।

प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
पेन्ड्री जिला- राजनांदगाँव (छ.ग.)

Principal
Eklavya Model Residential School
Pendri,Dist. Rajnandgaon (C. G)